अंक ५५ नई दिल्ली, सितम्बर २०१४ [निजी प्रसार के लिए]

# लोक पुलिस

मासिक पत्रिका

सी.एच.आर.आई.

जनतांत्रिक पुलिस के लिए

**श्रीमति प्रज्ञा सरवदे, १९८९ की महाराष्ट्र कैडर की आई.पी.एस. अधिकारी, जो वर्तमान में सिडको (city industrial development corporation) की प्रथम विजिलेंस चीफ के पद पर कार्यरत हैं, उनसे पुलिसिंग संबंधित विभिन्न विषयों पर उनके विचारों और सुझावों को जानने के लिए ज़ीनत मलिक द्वारा टेलिफोन पर लिए किये साक्षात्कार को पाठकों के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है।**

**अपनी कार्य अवधि में आपको मानव तस्करी और बच्चों से संबंधित केसों को संभालने का अच्छा अनुभव है। यह पुलिसिंग का कठिन क्षेत्र है जिस पर काम करने के लिए अच्छे प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इन केसों को और अच्छी तरह संभालने के लिए आप प्रशिक्षण में क्या परिवर्तन के सुझाव देना चाहेंगी?**

पुलिसिंग में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, कुछ ऐसे हैं जिन्हें तैनातियों के क्रम में संभाला जा सकता है। लेकिन, मानव तस्करी और बच्चों से संबंधित केस, दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनके लिए आवश्यक है कि लोग वर्तमान कानूनों और प्रक्रिया में निपुण और प्रशिक्षित हों। इनकी जांच बहुत अलग एंव विशिष्ट रूप से होती है और अलग प्रकार की संवेदनशीलता और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। तस्करी के पीड़ितों और बच्चे को जांच के समय संभालने के लिए जांच टीम में भी आपको मनोवैज्ञानिकों के सहयोग की ज़रूरत होती है। ऐसे मामलों में संवेदनशीलता बहुत अलग होती है इसलिए प्रशिक्षण में भी इसे समायोजित किया जाना चाहिए और अधिकारियों को विशेष प्रकार से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वह बच्चों को प्राथमिक रूप से संभालने में सक्षम हो सकें। पुलिस अधिकारियों को उनके पद को संभालने के लिए भी प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और उन्हें इस विशिष्ट पद को लंबे समय तक संभालने का अवसर देना चाहिए ताकि इसके विशेष क्षेत्र में निपुणता प्राप्त हो सके। लेकिन, बल में अवस्थाओं में नियमित रूप से परिवर्तन होते हैं और लोगों को विशेषज्ञता प्राप्त करना कठिन होता है। परिवर्तन इस विचार से किये जाते हैं कि लोग एक स्थिति में रहकर भ्रष्टाचार न कर पाएं, तो भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए कोई दूसरा उपाय करना चाहिए और साथ ही लोगों को निपुणता प्राप्त करने का अवसर देना चाहिए।

**क्या आपके विचार में बच्चों और मानव तस्करी के केसों को महिला पुलिस अधिकारी बेहतर तरीके से संभाल सकती है?**

नहीं, इसमें जेन्डर की कोई भूमिका नहीं है बल्कि केवल संबंधित कानूनों और विशिष्ट प्रक्रिया की जानकारी की आवश्यकता होती है। इसमें पुलिस के दायित्व, जानकारी होने और उसे लागू कराने की क्षमता का महत्व है - जांच, बचाव, पुनर्वास से संबंधित प्रक्रिया और कानून दोनों की जानकारी होनी चाहिए। पीड़ितों को पुनर्वास की प्रक्रिया तक पहुंचाने तक का काम, पुलिस का दायित्व होता है फिर जब हम पुनर्वास कि बात करते हैं तो दूसरे विभागों की भूमिका आती है जैसे महिला एंव बाल कल्याण विभाग। इन विभागों में आपसी बातचीत में थोड़ी कमी हो जाती है जिस कारण से कई चीज़ें साफ़ नहीं हैं। जैसे - उनके पास पुनर्वास की क्या व्यवस्था है, उनके पास इसकी कितनी क्षमता है, आदि। और क्या जांच से हटकर बाल पीड़ितों और तस्करी के पीड़ितों को जो सहयोग ज़रूरी है, वह प्राप्त हो रही है या नहीं? जब तक इन सब पहलुओं पर अन्त: विभागीय दायित्व ठीक से नहीं निभाये जाएंगे, पुलिस की कोशिश बेकार हो जाएगी। क्योंकि, जिन पीड़ितों का पुनर्वास ठीक से नहीं हुआ है, दो-तीन साल के बाद आप उसे फिर इसी कठिनाई से ग्रस्त पाते हैं। मानव तस्करी एक अन्तर विभागीय काम है और इसे वह प्राथमिकता नहीं मिल रही जिसकी इसे आवश्यकता है।

**आपने, बस्ती (slum) क्षेत्रों में सामुदायिक पुलिसिंग का उपयोग किया है। आप सामुदायिक पुलिसिंग की व्याख्या किस प्रकार करेंगी? आप पुलिस विभाग को अपराधों को रोकने और पता लगाने के लिए, सामुदायिक पुलिसिंग को सर्वश्रेष्ठ तरीके से उपयोग करने के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगी?**

सामुदायिक पुलिसिंग कोई ऐसी अवधारणा नहीं है, जो आप हर जगह लागू कर दें। इसे पूरी तरह स्थानीय होना चाहिए क्योंकि हर समुदाय की अपनी विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं। इसका उद्देश्य यह होना चाहिए कि समुदाय पुलिसिंग के काम में सम्मिलित हो।

आपने उल्लेख किया है कि मैंने सामुदायकि पुलिसिंग को लागू कराया है तो वह एक बस्ती क्षेत्र था जहां डेढ़ वर्ष तक जब मैं उस क्षेत्र की डी.सी. पी. थी, इसे लागू कराया था और इसके अच्छे परिणाम आए थे। दरअसल, वहां लोगों के विरुद्ध एन.सी.आर. के बहुत मामले थे और क्योंकि पुलिस को इन मामलों में स्वत: जांच करने की आज्ञा नहीं होती है, इस कारण इसका निपटारा नहीं होता था। वह ऐसे ही थानों में दर्ज हो जाते थे और पुलिस के लिए भ्रष्टाचार का एक श्रोत बन जाता था जिससे कोई छुटकारा भी नहीं मिलता था। हमने इसका हल निकालने का निर्णय किया और क्योंकि यह एक बहुत ही नज़दीकी संबंध रखने वाला समुदाय था, लोगों के बीच बहुत अधिक बात-चीत होती थी।

जैसा कि हम जानते हैं कि गांवों में लोग अपनी समस्याओं को पंचायत में हल कर लेते हैं तो, हमने वहां पर वैसी ही प्रक्रिया के द्वारा केसों के निपटारा कराने का प्रयत्न किया था। हमने मुहल्ले के स्तर पर मुखिया नियुक्त किया। पंचायत के सदस्यों की उपस्थिति और उस क्षेत्र में सामुदायिक पुलिसिंग के लिए अधिकृत अधिकारी के समक्ष, पूर्ण रूप से कानूनी निगरानी में उस क्षेत्र के एन.सी. को मंगाकर दोनों पक्षों को आपस में तय की गई शर्तों के आधार पर और अपनी-अपनी गलती स्वीकार करके झगड़े का निपटारा करवाने की कोशिश की जाती थी। जब दोनों पक्ष पंचायत में समझौते की निर्णय पर राज़ी हो जाते थे, तब वे पंचायत द्वारा इस मकसद के लिए रखे जाने वाले एक मीटिंग रजिस्टर पर हस्ताक्षर करती थी और यह इस बात का सबूत होता था कि वह समझौते को मानेंगे। इस विशेष पंचायत को हमने 'मोहल्ला पंचायत 'का नाम दिया था। अपनी गलती स्वीकार करके पंचायत द्वारा इस प्रकार के समझौते केवल असंज्ञय मामलों में ही करवाने का प्रबंध किया जाता था। क्योंकि, कानून के अंतर्गत पुलिस को ऐसे मामलों में स्वत: जांच करने का अधिकार नहीं है और इस वजह से यह छोटे अपराध आगे चलकर बड़े-हत्या, बलात्कार और अन्य शारीरिक अपराध बन जाते थे।

इसका परिणाम यह हुआ कि एन.सी. आर. की संख्या बहुत कम हो गई और पुलिस को समुदाय की गतिविधियों के बारे में अचित जानकारी प्राप्त होने लगी। लोगों से संबंध बने। इसे सम्भावित अपराधों का पता लगाने में सहायता प्राप्त हुई। इस तरह समुदायिक पुलिसिंग को स्थानीय समस्याओं का हल ढूंढने के लिए उपयोग करने से अपराधों का पता लगाने और रोकने में भी सहायता मिलती है। जब आपका लोगों से संपर्क होता है तो उनके बारे में हर प्रकार की सूचना प्राप्त होती है जिससे अपराधों को रोकने में सहायता मिलती है। इससे दोनों को ही फायदा होता है।

**आपने अपराध पीड़ितों के सर्वेक्षणों (crime victimization surveys) को पुलिस द्वारा फीडबैक प्राप्त करने और कार्य निष्पादन में सुधार के एक उपाय के तौर पर प्रस्तूत किया है। क्या आप इसकी व्याख्या करेंगी? क्या इस प्रकार के सर्वेक्षण के कोई सर्वश्रेष्ठ उपयोग के उदाहरण हैं जो आप हमें बताना चाहेंगी?**

इसके पीछे यह धारणा थी कि समाज में जो भी अपराध घटित होते हैं सबलोग वह दर्ज नहीं करते हैं इसलिए थाना स्तर पर इन सर्वेक्षणों को किया जाए जिससे यह पता चल सके कि एक विशेष थाने में कितने की सम्पत्ती के अपराध हुए हैं, शारीरिक अपराध किस प्रकार के होते हैं। फिर, जब एक बार आपको यह आँकड़े प्राप्त हो जाते हैं, तो वह आपके लिए एक हथियार के तौर पर काम करते हैं अपराधों के प्रबंधन में।

शेष भाग पृष्ठ २ पर.....

## बूझो और जीतो-३३

प्रिय पाठकों,

इस खण्ड के अंतर्गत और इसे अधिक रोचक और विशिष्ट बनाने के लिए हमने जून २०१४ से इसे एक खास विषय पर केन्द्रित करने का निर्णय लिया था। इसी श्रृंखला में इस बार जो विषय चयनित किया गया है वह है पुलिस द्वारा उपयुक्त "निवारक उपाय"। सभी प्रश्न इसी से संबंधित हैं। आशा है, आपको यह पद्धति पसंद आएगी और आप अधिक से अधिक संख्या में इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगें।

किसी अंक में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर, तीसरे महीने के अंक में प्रकाशित किये जाते हैं ताकि पाठकों को प्रविष्टियाँ भेजने के लिए पर्याप्त समय मिले। २ सही जवाब भेजने वालों को ५०० रुपये पुरस्कार के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट या चेक द्वारा भेजा जाता है और इन विजेताओं के नाम पत्रिका में प्रकाशित भी किये जाते हैं।

इस अंक के सवाल निम्नलिखित हैं:-

१. पुलिस किसी अपराध के घटित होने से पूर्व ही क्या किसी की गिरफ्तारी कर सकती है? संबंधित प्रावधान में क्या कहा गया है?

२. यदि किसी कांस्टेबल को यह सूचना प्राप्त हो कि क्षेत्रीय बैंक में लूट की योजना बनाई गई है, उसे क्या कार्यवाही करनी चाहिए?

३. एक व्यक्ति जिसके बारे में पुलिस को संज्ञय अपराध की तैयारी करने की सूचना प्राप्त होती है, पुलिस कितनी देर हिरासत में रख सकती है?

४. असंज्ञय अपराध को घटित होने से रोकने के लिए पुलिस क्या कर सकती है? क्या इसमें भी संदिग्ध व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा सकती है?

५. क्या संज्ञय अपराध की तैयारी करने की सूचना मिलने पर उसे रोकने के लिए पुलिस किसी के घर में घुस सकती है?

बूझो और जीतो - ३० का परिणाम

जून २०१४ अंक के परिणाम को इस अंक में प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं:-

१. हां, पुलिस जब भी लाईसेंस की मांग करती है संबद्ध व्यक्ति को लाईसेंस या उसकी प्रतिलिपि दिखानी होगी। पुलिस को लाईसेंस की मांग करने का अधिकार मोटर वाहन अधिनियम, १९८८ की धारा १३० से प्राप्त होता है।

२. हां, बगैर लाईसेंस के मोटर चलाने पर पुलिस वाहन को ज़ब्त कर सकती है। ऐसा करना मोटर वाहन अधिनियम १९८८ की धारा १९० व १९१ के अंतर्गत अपराध है। इसके दोषी को ३ महीनों तक का कारावास और ५०० रु. का जुर्माना चुकाने या दोनों का ही दण्ड दिया जा सकता है।

३. मोटर वाहन अधिनियम की धारा १८५ के अंतर्गत शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए पहली बार दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को ६ महीने तक के कारावास या २००० रु. तक का जुर्माना चुकाने या दोनों का ही दण्ड दिया जा सकता है।

यदि ऐसा ही अपराध दूसरी बार तीन वर्ष के भीतर किया जाता है, दोषी को २ वर्षों तक के कारावास या ३००० रु. तक के जुर्माना या दोनों का ही दण्ड दिया जा सकता है।

४. यदि कोई सार्वजनिक स्थान पर खतरनाक तरीके से वाहन चलाता है तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा १८४ के अंतर्गत उसे पहली बार ऐसा करने के लिए ६ महीने तक के कारावास या १००० रु. तक का जुर्माना चुकाने का दण्ड दिया जा सकता है।

दूसरी बार या बाद में ऐसा करने के दोषी को २ वर्षों तक के कारावास या २००० रु. तक जुर्माना चुकाने या दोनों का ही दण्ड दिया जा सकता है।

५. मोटर वाहन अधिनियम १९८८ की धारा १८० के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति को ३ महीने तक के कारावास का दण्ड या ५०० रु. तक जुर्माना चुकाने का दण्ड या दोनों ही दिया जा सकता है।

विजेता

इस अंक में हमें प्राप्त प्रविष्टियों में से किसी के भी सभी उत्तर सही नहीं थे। इसलिए, इस अंक में कोई भी विजेता नहीं होगा।

अपने पत्र हमें निम्न पते पर भेजें या ईमेल करें-

ज़ीनत मलिक
प्रधान संपादक, *लोक पुलिस*
कॉमनवेल्थ ह्यूमन राईट्स इनिशिएटिव
(सी.एच.आर.आई.)
चौथी मंजिल, ५५ ए, सिद्धार्थ चैम्बर्स, कालू सराय, नई दिल्ली-१६
मैबाईल: ०९९५३७८९१४०
ई-मेल: zeenatmalick@gmail.com
वेबसाईट: http://www.humanrightsinitiative.org

# अपराधी बगैर अपराध - कितना सम्भव?

जहां कहीं भी हत्या जैसा कोई अपराध घटित होता है मृतक पीड़ित के परिजनों की न्याय प्रणाली से केवल यही अभिलाषा होती है कि वह उनके मृतक प्रियजन के हत्यारों को दण्ड देंगे और उनके लिए सबसे बड़ा संतोष यही होता है कि दोषी को उसके अपराध का दण्ड दे दिया गया। लेकिन, यदि किसी परिजन की निर्मम हत्या के बाद उसके हत्यारे को या तो पुलिस पकड़ न पाए या फिर पकड़े जाने के बावजूद पुलिस एंव सरकारी वकील द्वारा जांच और सबूतों में कमी के कारण अदालत संदेह का लाभ देते हुए अपराधी/ आरोपी को दोषमुक्त कर दे, तो क्या न्याय प्रणाली पर पीड़ित परिवार का कभी विश्वास क़ायम रह पाएगा? क्या मृतक को न्याय मिल पायेगा? ऐसी ही व्यथा अहमदाबाद के पीड़ित परिवार की है जिनकी छः वर्ष की बेटी के अपहरण, बलात्कार और निर्मम हत्या के बाद भी उसका गुनहगार कौन है, पुलिस यह बतलाने में असमर्थ रही।

गोमी नामक एक ६ वर्षीय बच्ची का अपहरण, बलात्कार और बेहद बर्बतापूर्वक हत्या, हत्या के बाद उसकी पायल निकालने के लिए उसके पैरों को काटने जैसा घिनौना अपराध कथित रूप से उसके ही एक १९ वर्षीय रिश्तेदार किशनभाई द्वारा २७ फरवरी २००३ की शाम करीब ६ बजे के पास किया जाता है। मुकदमे के बाद आरोपी को निचली अदालत से दोषी मानते हुए फांसी के दण्ड का आदेश दिया जाता है। लेकिन, आरोपी इसके विरुद्ध अपील करता है और गुजरात उच्च न्यायालय सबूतों की कमी के कारण उसे "संदेह का लाभ" देते हुए दोषमुक्त कर देती है। अदालत पुलिस और अभियोजन द्वारा १० कमियों को उजागर भी करती है। दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध यह अपील राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय में दायर किया था और उसी कारण से बेहद कटु शब्दों में पुलिस और अभियोजन के दायित्वों में कमी के कारण उच्चतम न्यायालय ने भी इस अपील को खारिज किया और परिणाम स्वरूप आरोपी रिहा हो गया। उच्चतम न्यायालय ने अवलोकन करते हुए कहा कि इस केस में पुलिस और अभियोजन दयनीय रूप से अपने दायित्वों के निर्वहन में असफल हुए हैं। मृतक गोमी के परिवार की पीड़ा का कोई हल नहीं निकल पाया है क्योंकि उच्च न्यायालय के निर्णय को तर्किक कारणों से सही माना गया। अदालत ने यह भी कहा कि दोषमुक्ति के प्रत्येक केस में न्याय का मकसद पूर्ण नहीं हो पाता जैसा कि इस केस में हुआ है।

इस केस *गुजरात राज्य बनाम किशन भाई आदि, क्रिमनल अपील नं २००८ के १४८५*, के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने ७ जनवरी २०१४ को अपने निर्णय में अपील खारिज करते हुए निम्नलिखित निर्देश दिया है ताकि प्रत्येक दोषमुक्ति के मामले में चूक करने वाले पुलिस/ अभियोजन अधिकारी को उनके दायित्वों के निर्वहन के लिए उचित प्रशिक्षण दिया जाए और अगर आवश्यक हो तो काम में लापरवाही करने पर उनके विरुद्ध दण्ड के तौर पर कार्यवाही भी की जाए। इन निर्देशों को प्रत्येक गृह विभाग को कार्यान्वित करने का निर्देश दिया गया है :-

१. किसी भी केस में जांच समाप्त होने के बाद अभियोगपक्ष की एजेंसी को अपने खुले दिमाग़ का उपयोग करके, सभी कमियों को, यदि आवश्यक हो और जांच द्वारा, दूर करना चाहिए। मुकदमे के दौरान सभी गवाहों और तथ्यों को कर्तव्यनिष्ठा से उपस्थित कराकर यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जांच के दौरान इकट्ठा किये गये साक्ष्यों का वास्तव में और ईमानदारी से उपयोग किया गया है।

ऐसा करने से दो उद्देश्य पूरे होंगे। केवल उनलोगों को ही आपराधिक अभियोग की कठोरता से गुज़रना होगा जिनके विरुद्ध पर्याप्त सबूत उपलब्ध है। उपरोक्त प्रक्रिया को अपनाकर अधिकांश केसों में समबद्ध एजेंसी दोष स्थापित करने में सफल होगी।

२. प्रत्येक राज्य के गृह विभाग को अपने यहां सभी दोषमुक्ति का परीक्षण करें और अभियोग पक्ष के प्रत्येक केस की असफलता के कारणों को दर्ज करेंगे। वरिष्ठ पुलिस और अभियोजन अधिकारियों की स्थायी समिति को इस जिम्मेदारी को निभाने का दायित्व दिया जाना चाहिए। यह समिति जांच के दौरान पुलिस या अभियोजन या दोनों की ग़लतियों को निश्चित करने का कार्य करेगी।

३. सभी राज्यों के गृह विभाग अपने वर्तमान जूनियर जांच अधिकारियों / अभियोजन अधिकारियों के प्रशिक्षण प्रोग्राम में उपरोक्त विचार पर पाठ्यक्रम सामग्री सम्मिलित करेंगे। इसे वरिष्ठ जांच अधिकारियों / अभियोजन अधिकारियों के रिफ्रेशर पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाना चाहिए।

४. अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण प्रोग्राम तैयार करने का दायित्व उपरोक्त उल्लेखित वरिष्ठ अधिकारियों की स्थायी समिति का होगा। इस केस के निर्णय जैसे अन्य निर्णयों को प्रशिक्षण सामग्री में जोड़ा जा सकता है।

५. प्रशिक्षण प्रोग्राम की पाठ्यक्रम सामग्री की वार्षिक समीक्षा, फ्रेश इनपुट, जांच के नए आये वैज्ञानिक तरीकों, अदालतों के निर्णयों और स्थायी समिति द्वारा असफलताओं के परीक्षण के अनुभवों के आधार पर, इस समिति द्वारा की जानी चाहिए।

६. किसी भी आपराधिक केस में दोषमुक्ति होने पर, इस दोषमुक्ति के लिए ज़िम्मेदार समबद्ध जांच / अभियोजन अधिकारी की पहचान की जानी चाहिए। प्रत्येक केस में विष्कर्ष परिणाम को दर्ज किया जाना चाहिए कि चूक निष्फल थी या निन्दनीय।

७. केस की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, समबद्ध जांच / अभियोजन अधिकारी के दोष के अनुसार, आगे की जांच की ज़िम्मेदारी से स्थायी या अस्थायी रूप से हटा देना चाहिए।

८. सभी राज्य के गृह विभागों को गलती करने वाले जांच/ अभियोजन अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए। ऐसी गलती करने वाले पदाधिकारियों/ अधिकारियों को पहचाना जाना चाहिए जिनकी लापरवाही या दोष के कारण अभियोजन का केस असफल हुआ है, उन्हें निश्चित रूप से विभागीय कार्यवाही का सामना करना चाहिए।

९. उपरोक्त प्रशिक्षण प्रोग्राम को छः महीने में प्रारम्भ कर दिया जाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि जो व्यक्ति जांच / अभियोजन से संबंधित संवेदनशील मामलों को संभालते हैं, इसे संभालने में पूरी तरह से प्रशिक्षित हैं। उनके द्वारा किसी प्रकार की चूक के लिए उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाएगी।

१०. इस निर्णय की प्रतिलिपि एक सप्ताह के भीतर सभी राज्य सरकारों और केन्द्र शासित राज्यों के गृह सचिवों को भेज दी जानी चाहिए। सभी गृह सचिव उपरोक्त दर्ज निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। सभी गृह सचिवों द्वारा उपरोक्त निर्देशों द्वारा विचारों के अनुपालन का रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए।

अंत में, उपरोक्त निर्देशों के सर्वप्रथम अनुपालन में, माननीय न्यायालय ने यह भी कहा कि 'हमें आशा और विश्वास है कि गुजरात राज्य का गृह विभाग भी वर्तमान केस की असफलता के लिए ज़िम्मेदार अधिकारी की पहचान करके उसके विरुद्ध कानून के अनुसार उचित विभागीय कार्यवाही करेगी।'

ऐसे किसी भी केस में जहां अपराधी का पता नहीं चलता और परिणामस्वरूप पीड़ित को कभी न्याय नहीं मिल पाता है, निश्चित रूप से यह जांच एजेंसी और अभियोजन की विफलता का होता सूचक है। यह न केवल संबंधित केस में पीड़ितों के लिए हानिकारक होता है बल्कि उस स्वतंत्र घूम रहे अपराधी के कारण समूचा समाज असुरक्षित रहता है। साथ ही, अभियोजन के किसी भी असफल केस का दूसरा और बेहद महत्वपूर्ण पहलु यह भी है कि जांच एजेंसी ने किसी बेगुनाह व्यक्ति को आरोपी मान कर उसे और उसके परिवार को आपराधिक मुकदमे की कठोरता और उससे जुड़ी बदनामी को झेलने के लिए विवश किया है।

निश्चित रूप से अपराधियों को पकड़ कर उन्हें उचित दण्ड दिलाने के दायित्व को न निभाने वाले और वहीं किसी बेगुनाह को आपराधिक प्रणाली की कटुता बर्दाश्त करने पर विवश करने वाले अधिकारियों को उनकी अक्षमता और गैर ज़िम्मेदारी के लिए उचित कानूनों के अंतर्गत दण्डित किया जाना चाहिए ताकि वह ऐसे संवेदनशील कार्यों में लापरवाही बरतने से पहले हज़ार बार सोचे।

- ज़ीनत मलिक

पृष्ठ १ का शेष भाग.....

अगर किसी थाना में अपराधों का वास्तविक आँकड़ा होगा तो किस प्रकार के अपराध सबसे अधिक घटित हो रहे हैं और इसके अनुसार सबसे दुर्बल और संवेदनशील लोग और क्षेत्र कौन से हैं, यह सब मालूम हो जाएगा। इसी प्रकार, पुलिस तैनाती भी सही स्थान पर उचित रूप में हो पाएगी और अंततः अपराधों में कमी और जांच में सहयोग मिलेगा। पुलिस द्वारा शिकायत न दर्ज करने की घटना, महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार के केसों की पहचान हो पाएगी। और पुलिस द्वारा अपराध की स्थिति में भ्रष्टाचार के मामलों में भी रोक लग सकेगी, यदि अपराधों का वास्तविक आँकड़ा पुलिस के पास उपलब्ध हो। हमने इस प्रोजेक्ट का प्रस्ताव सरकार को भेजा हुआ है और हम यह सारी सूचना यादृच्छक प्रतिचयन (random sampling) द्वारा करना चाहते थे।

**क्या आपके विचार में *प्रकाश सिंह के केस* में छः दिशा-निर्देशों के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये पुलिस सुधार के मानदण्ड, भारत में पुलिस में सुधार लाने के लिए उचित कदम हैं? क्या आप सुधार के अन्य पहलुओं को प्राथमिकता देंगी?**

हां, इसमें कोई संदेह नहीं है कि *प्रकाश सिंह केस* के निर्णय में दिये गये निर्देशों की दिशा में पुलिसिंग को बढ़ना चाहिए। इसमें संगठनात्मक जवाबदेही और संतुलन की बात बताई गई है जो पुलिसिंग के लिए ज़रूरी है।

लेकिन, इन छः निर्देशों के अलावा, अगर मुझसे पुलिसिंग में सुधार के लिए सबसे पहला कदम उठाने को कहा जाए तो, मेरे अनुसार क्राईम विक्टिमाईज़ेशन सर्वे सबसे पहले होना चाहिए, यह कई उद्देश्यों को पूरा करता है। इसके कार्यान्वयन से पुलिस में कई गुण स्वतः ही उजागर हो जाएंगे।

**आपने पुलिसिंग सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए फंड के विकेन्द्रीकरण को आवश्यक बताया है। इस विचार को थाना स्तर पर कैसे उपयोग किया जा सकता है, क्या आप इसकी व्याख्या कर सकती हैं?**

हां, मेरे विचार में फंड को थाना स्तर पर बांट दिया जाना चाहिए ताकि उन्हें अपने दैनिक व्यय ज़िला मुख्यालय द्वारा न लेना पड़े है, जैसा कि वर्तमान में करना पड़ता है।

हर थाने को कम से कम एक वर्ष का खर्च आवंटित किया जाना चाहिए। और इसके लिए औपचारिक रूप से शोध हुए हैं जिसके अनुसार देहात क्षेत्र के थाने का वार्षिक खर्च तकरीबन ५ लाख रु. तक अनुमानित है तथा शहरी क्षेत्र में यह खर्च ६-८ लाख है। ऐसा करने से थानों को अपने कार्यों को सहजता से करने का अवसर मिलेगा और दैनिक खर्च के लिए उनकी निर्भरता कम होगी।

**तथ्य एंव आँकड़े**

**हिरासत में हुए अपराधों का आँकड़ा**

देश में कुल ११८ हिरासत में मृत्यू के केस दर्ज किये गये।

१ वर्ष में एक पुलिसकर्मी को इसके लिए दोषारोपित किया गया।

हिरासत में होने वाली मृत्यू में से ३४ केस आत्महत्या के कारण हुए।

देश में हिरासत में बलात्कार का केवल १ केस कर्नाटक के चिकमागलुर ज़िले में दर्ज किया गया।

सौजन्य : पुलिस अनुसंधान एंव विकास ब्यूरो द्वारा प्रकाशित १ जनवरी २०१३ तक के आंकड़े।

# क्या आप जानते हैं?

इस खण्ड के अंतर्गत हम कमज़ोर गवाहों द्वारा आपराधिक कार्यवाही के समय गवाही लेते समय ध्यान देने योग्य आवश्यक बातों के लिए तैयार किये गये दिशा-निर्देशों को प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके लिए कुल ३६ दिशा-निर्देश निर्धारित किये गये हैं। इस श्रृंखला के पहले, दूसरे और तीसरे भाग में क्रमशः १-५, ६-१७वें और १८-२७वें निर्देश को शामिल किया जा चुका है। इसके आगे के निर्देशों को इस श्रृंखला में अंतिम कड़ी के रूप में नीचे प्रस्तुत किया जा रहा हैं :

## आपराधिक मामलों में कमज़ोर गवाहों का बयान दर्ज कराने के लिए दिशा-निर्देश

२८. आपराधिक अदालतों के जजों के लिए निर्देश -

(i) दुर्बल गवाहों को ऊंची प्राथमिकता दी जाएगी और जितना सम्भव हो उतनी शीघ्रता से उनके लिए प्रबंध किया जाएगा, अनावश्यक विलंब और अविराम को कम से कम कर दिया जाएगा (जब भी ज़रूरी और सम्भव होगा, दुर्बल गवाह के बयान को नियमित रूप से और बगैर विलंब के दर्ज करना सुनिश्चित करने के लिए अदालत की अनुसूची को बदल दिया जाएगा।) (ii) जजों और अदालत प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दुर्बल गवाह के विकासात्मक आवश्यकताओं को पहचाना जाए और अदालत के कमरे में उसे समायोजित करने का प्रबंध किया जाए। (iii) दुर्बल गवाहों के लिए अलग और सुरक्षित प्रतीक्षा क्षेत्र और पैसेज उपलब्ध कराया जाना चाहिए। (iv) जजों को सुनिश्चित करना चाहिए कि संपूर्ण अदालती कार्यवाही के दौरान, उचित भाषा के उपयोग द्वारा, समय से और ध्यान केन्द्रित करने की अवधि में सुनवाई द्वारा और ऐसे गवाहों को जब ज़रूरी हो तो, शारीरिक आवश्यकताओं को गवाही के साधन और इंटरप्रेटर, अनुवादक द्वारा दुर्बल गवाहों के विकासात्मक चरणों और ज़रूरतों को पहचाना जाए और मान्यता दी जाए। (v) दुर्बल गवाहों की गवाही के दौरान एक सहयोगी व्यक्ति के उपस्थित रखने में जजों को नरम होना चाहिए और गवाही के दौरान सहयोगी व्यक्ति को अनावश्यक अलगाव से सुरक्षित रखना चाहिए। (vi) जिस सुनवाई में दुर्बल गवाह सम्मिलित हों, उन्हें ऐसे दिन/ समय तय किया जाना चाहिए जब वह बच्चे के दिनचर्या/ नियमित कार्यक्रम में बाधाकारी न हो।

२९. बंद कमरे की कार्यवाही की आज्ञा देना-

(i) जब कोई दुर्बल गवाह बयान देता है, अदालत, कमरे से उन सभी लोगों को बाहर जाने का आदेश दे सकती है जो सीधे तरीके से इससे जुड़े न हों, इसमें प्रेस के सदस्य भी शामिल हैं। ऐसा आदेश गवाह के निजता के अधिकार को सुरक्षित रखने या यदि अदालत रिकॉर्ड में यह दर्ज करती है कि खुली अदालत में गवाही देना दुर्बल गवाह को मनोवैज्ञानिक रूप से नुकसान पहुंचाएगा, सत्य तक पहुंचने में बाधक होगा या इसके परिणामस्वरूप वह भय, घबराहट और शर्मिंदगी के कारण प्रभावपूर्ण तरीके से बातचीत करने में समर्थ न हो, तब दिया जा सकता है। (ii) अपना आदेश देते समय अदालत दुर्बल गवाह के विकास के स्तर को, अपराध की प्रकृति, अपराध के बारे में उसके बयान की प्रकृति, आरोपी और मुकदमें के दौरान मौजूद लोगों से उसके संबंध, उसकी ईच्छाओं, और उसके माता-पिता या कानूनी अभिभावक के फ़ायदे का ध्यान रखेगी। (iii) अदालत, स्वतः ही जनता को अदालत के कमरे से हटा सकती है यदि प्रस्तुत किया जाने वाला साक्ष्य परेशान करने वाला, व्यक्तिगत और जनता की शिष्टता और नैतिकता के लिये घातक है।

३०. आपराधिक केसों में जहां दुर्बल गवाह शामिल हों, लाईव-लिंक टेलीविज़न गवाही -

(क) अभियोजन, वकील या अभिभावक यह आदेश ले सकते हैं कि बच्चे का बयान अदालत के कमरे से हट कर कहीं बाहर कमरे में लिया जाए और अदालत के कमरे में लाईव-लिंक टेलीविज़न द्वारा दिखाया जाए।

(ख) लाईव-लिंक के उपयोग पर निर्णय लेने के लिए जज बच्चे से चैम्बर में, या अदालत से हटकर दूसरे आरामदायक स्थान पर, सहायक व्यक्ति, अभिभावक, अभियोजन और पार्टी के वकीलों के समक्ष बच्चे से प्रश्न पूछ सकते हैं। जज के प्रश्न मुकदमे के मुद्दे से जुड़े नहीं होंगे बल्कि अदालत में बयान देने के बारे में बच्चे की भावना से जुड़े होंगे।

(ग) अदालत स्वतः ही यदि इसे उचित लगे, (क) या दुर्बल गवाह के बयान दर्ज करने के लिए किसी दूसरे उचित निर्देश के बारे में आदेश जारी कर सकती है।

३१. आरोपी से दुर्बल गवाह को दूर रखने के लिए स्क्रीन, एक तरफा शीशा और दूसरे उपकरणों के उपयोग का प्रावधान- अदालत स्वतः या अभियोजन के वकील या अभिभावक के आवेदन पर यह आदेश दे सकती है कि जब दुर्बल गवाह अदालत में बयान दर्ज कराये तब उसकी कुर्सी को इस प्रकार रखा जाए या कोई स्क्रीन या उपकरण को रखा जाए ताकि वह आरोपी को देख न सके। अदालत ऐसा करने का कारण बताते हुए और कमरे के स्वीकृत प्रबंधन का ब्योरा देने के लिए आदेश जारी करेगी।

३२. निर्देश ३१ एंव ३२ के अंतर्गत आवेदनों पर विचार करने में ध्यान रखे जाने वाले कारक :

अदालत, दुर्बल गवाह के बयान को लाईव टेलीविज़न द्वारा दर्ज करने का आदेश दे सकती है यदि इस बात की बड़ी सम्भावना हो कि दुर्बल गवाह सबूत का पूरा सच नहीं बताएगा अगर उसे आरोपी, अभियोजन या विपक्षी पार्टी के वकील के सामने बयान देना पड़े।

इसलिए, लाईव टेलीविज़न लिंक के उपयोग को स्वीकार या अस्वीकार करने के आदेश में इसका कारण बताया जाएगा और ऐसा करते समय निम्न पर ध्यान दिया जएगा :

(i) दुर्बल गवाह की आयु और विकास का स्तर, (ii) उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जिसमें शारीरिक और या मानसिक अक्षमता शामिल है, (iii) समबद्ध केस से बच्चे को होने वाले किसी सदमे का अनुभव या इससे जुड़ा कोई शारीरिक, मानसिक या मनोवैज्ञानिक आघात, (iv) कथित अपराध और इसके घटित होने की परिस्थिति, (v) दुर्बल गवाह के विरुद्ध कोई भी धमकी, (vi) आरोपी या विपक्षी पार्टी से उसका संबंध, (vii) आरोपी से अदालत या पहले कहीं और सामना होने पर उसकी प्रतिक्रिया, (viii) जब उससे मुकदमे के पहले माता-पिता या व्यवसायिकों द्वारा गवाही देने की बात कही गई थी, उसकी प्रतिक्रिया, (ix) बयान दर्ज कराने के पहले दिनों में गवाह द्वारा विशिष्ट प्रकार के दबाव के लक्षण, (x) विशेषज्ञों या अन्य गवाहों का बयान, (xi) बच्चे की अभिरक्षा की स्थिति और जिस बारे में वह गवाही देने वाले बयान के बारे में उसके परिवार के सदस्यों का रुझान, और (xii) अन्य प्रासंगिक कारक, जैसे कि अदालत का वातावरण और अदालती प्रक्रिया की औपचारिकता।

३३. पूछताछ की प्रणाली-

सच्चाई सुनिश्चित करने को सहज बनाने के लिए अदालत दुर्बल गवाह से पूछताछ पर नियंत्रण रखेगी।

(i) सुनिश्चित करेगी कि दुर्बल गवाह से प्रश्न की रूपरेखा उसके विकास के स्तर के अनुसार हो, (ii) दुर्बल गवाह को अनुचित शर्मिंदगी और प्रताड़ना से सुरक्षित रखेगी, और (iii) उन प्रश्नों को अस्वीकार करना जो अदालत के विचार में अनुचित होने के कारण, गलत, भ्रामक, अनावश्यक होने के कारण, दोहराये जाने के कारण या गवाह को न समझ में आने वाली भाषा के उपयोग के कारण अस्वीकार्य हैं, (iv) अदालत बाल गवाह को कहानी के रूप में बयान दर्ज कराने की आज्ञा दे सकती है, (v) गवाह से प्रश्न केवल अदालत के माध्यम से ही पूछा जाएगा।

३४. गवाहों को निक्षेपण के नियम की व्याख्या किया जाना-

अदालत दुर्बल गवाह को बतलाएगी कि वह प्रश्नों को सावधानीपूर्वक सुने और ज़ोर से बोल कर पूरा सत्य बतलाए और केवल हां या ना में सिर न हिलाए और विशेष रूप से, जब वह कुछ भूल गये हो तो यह बतलाए कि गवाह को यह याद नहीं और अगर प्रश्न समझ न आए तब स्पष्ट रूप से पूछे।

बच्चे के बयान में क्या हुआ था यह बतलाने के लिए बच्चे के द्वारा बताए गए हाव भाव का अनुवाद उचित रूप से किया जाए और दर्ज किया जाए।

३५. प्रश्नों पर आपत्ती-

प्रश्नों पर आपत्ती जतलाने के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग करना चाहिए जिससे कि बच्चा भ्रमित न हो, घबराए या डरे नहीं।

३६. प्रश्नों को सीधी भाषा में पूछने की आज्ञा-

अदालत प्रश्नों को सीधी भाषा में पूछने की आज्ञा देगी जिसमें खास बोली, रूपकालंकार, कहावत और आदिवर्णिक शब्दों के उपयोग से बचा जाएगा। अदालत को ऐसे प्रश्नों की आज्ञा नहीं देनी चाहिए जिसके शब्दों के दो-तीन अर्थ हों, ऐसे प्रश्न जिसमें वर्तमान और भूत दोनों का उपयोग एक ही वाक्य में किया गया है, और विविध प्रश्न जिससे बच्चे के भ्रमित होने की सम्भावना हो। जहां अदालत को महसूस हो कि बच्चा भ्रमिक है, दोबारा पूछने के बजाय अदालत प्रश्न को दोबारा बनाने का निर्देश देगी।

व्याख्या :

(i) बच्चे की प्रतिक्रिया को इस बात के लिए पर्याप्त संकेत समझा जाएगा कि उसे प्रश्न स्पष्ट नहीं है इसलिए इसे दोबारा बनाकर अलग तरीके से पूछा जाए। (ii) गवाह के विकास के स्तर के अनुसार बहुत लंबे प्रश्नों को पुनः गठित करके उससे पूछने की ज़रूरत है। (iii) जटिल और संयुक्त प्रश्नों, दो भाग वाले प्रश्न या जिनके दोहरे निगेटिव हों उन्हें दोबारा बनाकर गवाह से पूछने की आवश्यकता है।

३७. गवाही के साधन-

अदालत, बच्चे को परिभाषा खण्ड में परिभाषित गवाही के साधनों की आज्ञा दे सकती है।

३८. गोपनीयता और सुरक्षा को संरक्षण

(क) रिकॉर्ड की गोपनीयता-

दुर्बल गवाह से संबंधित कोई भी रिकॉर्ड गुप्त और सीलबंद करके रखा जाएगा। बगैर अदालत के आदेश और लिखित आवेदन के रिकॉर्ड केवल निम्न को उपलब्ध कराया जाएगा :

(i) अदालत के कर्मचारियों को प्रशासनिक उपयोग के लिए, (ii) सरकारी वकील को निरीक्षण के लिए, (iii) बचाव पक्ष के वकील को निरीक्षण के लिए, (iv) अभिभावक को निरीक्षण के लिए, (v) अदालत द्वारा तय किये गये दूसरे व्यक्तियों को।

(ख) रक्षात्मक आदेश-

वीडियो लिंक द्वारा दुर्बल गवाहों की गवाही को वीडियो रिकॉर्ड किया जाना चाहिए केवल उस स्थिति में ही ऐसा नहीं किया जाएगा जब जज ने कोई विशेष उपाय करने का तर्कसंगत आदेश जारी किया हो। हांलाकि, जब भी किसी दुर्बल गवाह का ऑडियो या वीडियो टेप बनाया जाएगा, इसे निम्नलिखित रक्षात्मक आदेश के अधीन रखा जाएगा :

(i) दुर्बल गवाह की गवाही की एक लिखित प्रतिलिपि तैयार की जाएगी और केस के रिकॉर्ड में रखी जाएगी। ऐसे लिखित प्रतिलिपि की कॉपी केस के पार्टियों को उपलब्ध कराई जाएगी। (ii) इन टेपों को केवल पार्टियों, उनके वकीलों, उनके विशेषज्ञों और अभिभावक द्वारा ही देखा जा सकता है। (iii) किसी भी व्यक्ति को टेप तक या इसके किसी भी भाग पहुंचने की आज्ञा तब तक नहीं दी जाएगी जब तक वह लिखित प्रतिज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं करता कि उसने अदालत के रक्षात्मक आदेश को पढ़ा है और वह रक्षात्मक आदेश के अदालत के अधिकारक्षेत्र में उपस्थित है, और किसी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में वह अदालत की अवमानना की शक्तियों के अधीन होगा। (iv) प्रत्येक टेप, यदि उसे पार्टियों या उनके वकीलों को उपलब्ध कराया गया है, उस पर निम्नलिखित चेतावनीपूर्ण सूचना होगी : (v) "यह वस्तु या दस्तावेज़ और इसका विषय अदालत द्वारा जारी रक्षात्मक आदेश के अधीन है (केस का नाम), (केस का नंबर)। इनका परीक्षण, निरीक्षण नहीं किया जाएगा या किसी भी व्यक्ति द्वारा इन्हें देखा, पढ़ा या इसकी कॉपी नहीं बनाई जाएगी और न ही रक्षात्मक आदेश के परे किसी अन्य व्यक्ति को दिखाई जाएगी। टेप की कोई भी अतिरिक्त कॉपी नहीं बनाई जाएगी और न ही किसी भी व्यक्ति को अदालत की आज्ञा के बगैर बेची, दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो इसका उल्लंघन करता है उसे अदालत की अवमानना की शक्तियों को तथा कानून द्वारा निर्धारित अन्य जुर्माने के भुगतना होगा।" (vi) यह रक्षात्मक आदेश अदालत के आगे के आदेश तक पूरी शक्ति और प्रभाव से जारी रहेगा।

(ग) साक्ष्य के दौरान व्यक्तिगत ब्योरा जो बच्चे के लिए खतरा हो सकता हो, उन्हें हटा दिया जाना चाहिए-

एक दुर्बल गवाह को यह अधिकार है कि वह किसी भी अदालती कार्यवाही के दौरान अपनी व्यक्तिगत सूचना के बारे में न बतलाए, जिसमें नाम, पता, फोन नंबर, स्कूल या ऐसी कोई भी सूचना शामिल है जो उसके या उसके परिवार की शारीरिक सुरक्षा के लिए खतरा हो। हांलाकि, यदि अदालत को बच्चे के व्यक्तिगत सूचना के बारे में बयान देना आवश्यक लगता है, वह न्याय के हित में ऐसा करने को कह सकती है।

(घ) वीडियो और ऑडियो टेप को नष्ट करना-

इन निर्देशों के प्रावधान या अन्य तरीके से यदि बच्चे के वीडियो या ऑडियो टेप को प्रस्तुत किया जाता है और अदालत के रिकॉर्ड में रखा जाता है, इसे दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गये नियमों के अनुसार नष्ट कर दिया जाएगा।

३९. रक्षात्मक उपाय-

न्याय प्रक्रिया के किसी भी चरण में जहां पीड़ित बच्चे या गवाह की सुरक्षा पर खतरा महसूस होता है, अदालत बच्चे के लिए रक्षात्मक उपाय को लागू करने का प्रबंध करेगी। इन उपायों में निम्नलिखित बातें शामिल होंगी :

(क) न्याय प्रक्रिया के किसी भी केन्द्र पर पीड़ित बच्चे या गवाह का आरोपी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क न हो,

(ख) रोक के आदेश,

(ग) आरोपी के लिए मुकदमा पूर्व हिरासत का आदेश या रोक के साथ या "संपर्क रहित" ज़मानत की शर्त जो मुकदमेके दौरान जारी रह सकेगी,

(घ) पीड़ित बच्चे या गवाह को पुलिस या अन्य प्रासंगिक एजेंसियों द्वारा सुरक्षा प्रदान करना और उनके ठिकाने के प्रदर्शन से सुरक्षा करना,

(ङ) कोई भी अन्य रक्षात्मक उपाय जो उचित प्रतीत हो।

– प्रस्तुतिः ज़ीनत मलिक

## आपके विचार

संपादिका महोदया,

नमस्कार!

***लोक पुलिस*** के जुलाई का अंक प्राप्त हुआ जिसमें श्री जेकब पुन्नूस जी का साक्षात्कार बहुत पसंद आया और एस.सी.एस.टी. कानून में होने वाले संशोधन भी बहुत प्रभावकारी हैं। यदि यह सारे संशोधन इसमें सम्मिलित हो जाते हैं तो यह कानून बेहद उपयोगी हो जाएगा। फिर, शायद अनुसूचित जाति एंव जनजातियों के प्रति होने वाले अपराधों में थोड़ी कमी आएगी।

अगले अंक की प्रतीक्षा में!

कांस्टेबल, गढ़वाल,

सदस्य उत्तराखण्ड पुलिस

# पुलिस समाचार- हर कोने की हलचल

## शिकायत प्राधिकरण दुर्व्यवहार के सभी आरोपों का संज्ञान लेने में समर्थ!

गोवा के पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष, सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री आर.एम.एस. खांडेपारकर ने कहा है कि राज्य स्तरीय समिति पुलिसकर्मियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार के आरोपों का संज्ञान ले सकती है।

गोवा इंस्टटूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, पोरवोरिम में विद्यार्थियों को सम्बोधित करते हुए श्री खांडेपरकर ने २१ अगस्त को कहा था, *"प्रकाश सिंह के केस* में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से साफ पता लगता है कि राज्य स्तरीय प्राधिकरण पुलिसकर्मियों द्वारा संगीन दुर्व्यवहार के सभी आरोपों का संज्ञान ले सकता है। इसे गोवा सरकार के ३ अप्रैल २००७ और ७ मई २००७ के आदेश से आगे पक्का कर दिया गया है।" हांलाकि, उन्होंने सरकार के हाल के ऑफिस मेमो के बारे में कुछ नहीं कहा जिसके अनुसार प्राधिकरण पर स्वत: संज्ञान लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

स्पष्ट है कि राज्य पुलिस प्राधिकरण अपने अधिकारों का उपयोग करके उसके पास दर्ज कराये गये संगीन दुर्व्यवहार की शिकायतों पर कार्यवाही कर सकती है। लेकिन, प्राधिकरण पुलिसकर्मी द्वारा इस प्रकार के दुर्व्यवहार की घटना की जानकारी होते हुए भी इस पर स्वत: कोई कार्यवाही नहीं कर सकेगी क्योंकि राज्य सरकार ने इसकी मनाही कर दी है। इस प्रतिबंध से न केवल प्राधिकरण के प्राधिकार को क्षति पहुंची है बल्कि अंतत: इससे नुकसान जनता का ही होगा जो यदि अपने अधिकारों से अनभिज्ञ होने के कारण या आरोपी पुलिसकर्मी के भय के कारण शिकायत न दर्ज करा पाये तो दोषी पुलिसकर्मी पर कोई कार्यवाही ही नहीं होगी। यह न केवल उस पीड़ित के लिए खतरनाक है बल्कि समाज के लिए भी हानिकरक है क्योंकि कोई दण्ड न मिलने पर वह और अधिक अपराध कर सकता है। इसलिए, सरकार को इस निर्णय पर पुन: विचार करना चाहिए।

*(सौजन्य : टाईम्स ऑफ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम, २७ अगस्त २०१४)*

## मुंबई पुलिस की नई शुरुआत - कितनी सफल?

महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा हमेशा से अधिकांश शहरों की चिंता का कारण रही हैं। फिर भी, इसमें अधिक सुधार नहीं पाया गया है। प्रतिदिन महिलाओं के साथ शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना और छेड़खानी की घटनाएं होती रहती हैं। हर दिन कम से कम १ बलात्कार केस दर्ज होता ही है। भीड़ वाली जगह हो या फिर सुनसान स्थान महिलाएं हर समय अपनी सुरक्षा के प्रति असुरक्षा का आभास करती हैं।

मुंबई पुलिस ने अपने शहर की महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए फिर एक कोशिश की है। इस बार मदद के लिए केवल एक फोन करने की देर है। १०३ नंबर पर फोन करें, जोकि मुंबई पुलिस द्वारा उपलब्ध कराया गया एक विशेष आपातकालीन नंबर है। इस नंबर पर घरेलु हिंसा, मानसिक और शारीरिक हिंसा, यौन प्रताड़ना, आर्थिक हिंसा की शिकायत की जा सकती है। महिलाएं अब इस आसान नंबर का उपयोग कर सकती हैं। इसका मुख्य कार्यालय पुलिस मुख्यालय में होगा लेकिन सरकार ने कई एन.जी.ओ. को परेशानी में घिरी महिलाओं की सहायता करने के लिए नियुक्त किया है, चाहे वह परामर्श देना हो या फिर कानूनी सहायता प्राप्त करना। महिलाएं इस नंबर पर परेशानी के समय या जब उन्हें परामर्श की ज़रूरत हो फोन कर सकती हैं।

जब दक्षिणी मुंबई के निवासियों से पुलिस द्वारा उनकी सुरक्षा के लिए नये उपायों के बारे में पूछा गया तो मालूम हुआ कि हाल ही में मुंबई पुलिस ने एक और पहल की थी "ट्रेवेल सेफ वेन अलोन (जब अकेले हों सुरक्षित यात्रा करें)" जो कि एक एस.एम.एस. अभियान था। जब कोई महिला बेवक्त सफर कर रही हो और जिस वाहन पर वह सवार हो, यदि उसे वह संदेहजनक लगे तो वह उस वाहन का ब्योरा टौल फ्री नंबर ९९६९७७८८८ पर भेज सकती है, इसका फौलो-अप करना पुलिस का कर्तव्य है।

मुंबई पुलिस के मुख्य पी.आर.ओ., श्री धनंजय कुलकर्णी ने बताया, "हमें औसतन एक दिन में १०० कॉल प्राप्त होते हैं। इन्हें आगे संबंधित थानों में भेज दिया जाता है और इस पर तुरंत कार्यवाही की जाती है। हमने महिलाओं के लिए विशेषकर २०५ महिला बीट मार्शल सम्मिलित भी किया है। यह व्यवस्था २४ घंटे और सप्ताह के ७ दिन उपलब्ध है।"

२० अगस्त को जैसे ही शहर के पहले महिला बीट मार्शल के बल में सम्मिलित करने का समारोह समाप्त हुआ, उनमें से एक ने खुद को और पीछे बैठी पुलिसकर्मी को चोट पहुंचा लिया क्योंकि मोटरसाईकिल पर से उसका संतुलन खो गया था।

क्या ३ महीने की अवधि में कराटे सीखना, पिस्टल चलाना सीखना, बाईक चलाना सीखना, जन संपर्क और कानूनों को सीखना सम्भव है? सम्भवत: नहीं। यही कारण था कि ३ महीने की एक थकाऊ प्रशिक्षण सत्र के बावजूद जब समारोह के तुरंत बाद इसके प्रदर्शन का समय आया तब उनमें से एक ने स्वंय को ही चोट पहुंचा लिया।

महिला बीट मार्शल को पुलिस बल में शामिल करना एक अच्छा आईडिया है, लेकिन इसके लिए लंबे और गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता है अन्यथा इसमें कोई शक नहीं कि इस पहल का अंत भी शहर में किसी नये आने वाले कमिश्नर के साथ हो जाएगा। इस पहल को एक स्थायी रूप देने के लिए महिला बीट मार्शलों को बेहतर प्रशिक्षण देकर क्षेत्र में भेजा जाना चाहिए न कि इसे एक शो आईटम बनाने के लिए ३ महीने के कम समय में इतने विषयों का बोझ प्रशिक्षणार्थियों पर लाद दिया जाए कि वह किसी भी विषय में निपुण न हो पाएं।

*(सौजन्य : मिड डे डॉट कॉम २१ अगस्त २०१४ तथा डी.एन.ए.इंडिया डॉट कॉम, १सितंबर २०१४ )*

## चेन्नई - अपराध कम करने का अनोखा तरीका!

प्रेस में अपराध के रिपोर्टों को सीमित करने के लिए चेन्नई शहर की पुलिस को अनोखा तरीका बताया गया है : शहर में अपराध पत्रकारों पर पकड़ बनाकर। शहर की पुलिस द्वारा जारी एक आंतरिक सर्कुलर में ४ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को शहर के ११ मीडिया हाऊस में से २६ पत्रकारों को 'सम्भालने' के लिए कहा गया है। इस सर्कुलर से आहत होकर चेन्नई पत्रकार संघ (सी.जे.यू.) ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पास याचिका डाली है ताकि वह शहर के कमिश्नर एस. जॉर्ज के विरुद्ध कार्यवाही करें। संघ ने आरोप लगाया है कि विभाग के पास पहले से आंतरिक जन संबंध शाखा होने के बावजूद एक "प्रेस इन चार्ज अफसर" की नियुक्ति की गई है।

हांलाकि, एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस कदम के पक्ष में कहा है कि 'इसके पीछे अपराध पत्रकारों तक पहुंचने का विचार था। उन्होंने यह भी कहा कि सभी अधिकारी इसके हित में नहीं थे क्योंकि उन्हें कहा गया था अगर उनको नियत रिपोर्टर द्वारा मीडिया में कोई नकारात्मक रिपोर्ट प्रकाशित होती है तो उनसे पूछा जाएगा। और यह सर्कुलर आंतरिक प्रबंध के लिए था।' जबकि सी.जे.यू. ने अपनी याचिका में कहा है कि "नई व्यवस्था किसी भी दैनिक में कोई नकारात्मक समाचार न छपे, इसलिए समबद्ध पत्रकार को बहलाने, रिश्वत देने, फुसलाने और धमकाने के लिए है। पत्रकारों को बगैर उनकी जानकारी के पुलिस अधिकरी के पर्यवेक्षण में रखना भय पैदा करने का और साफ़ तथा निष्पक्ष पत्रकारिता पर खतरा है।"

पिछले महीने अपराध के बढ़ते दर पर विधानसभा में हो रहे हंगामे के बाद जॉर्ज ने मीडिया में विशेष अपराध विवरण दिया था। इसी विषय पर दैनिक के वरिष्ठ पत्रकार ने भी आपत्ती जतलाते हुए कहा कि जब विभाग का जन संबंध विभाग मोजूद है, ऐसे व्यक्तिगत पत्रकारों को संभालने के लिए डी.सी.पी. और ए.सी.पी स्तर के अधिकारियों को ज़िम्मेदारी देने की क्या आवश्यकता है? हांलाकि, ज्वाईंट कमिश्नर वी. वर्धराजू ने ऐसे किसी आंतरिक टीम के गठन की बात से इंकार किया है।

पूरी घटना पर विचार करने से ऐसा प्रतीत होता है कि चेन्नई पुलिस ने अपराधों को घटित होने से रोकने के लिए चाहे डी.सी.पी और ए.सी.पी. स्तर के अधिकारियों की टीम न बनाई हो, पर अपनी छवि को खराब करने वाले अपराध पत्रकारों से निपटने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। यह बात और है कि उनकी आंतरिक मंशा की जानकारी पत्रकारों को पहले ही हो गई और उन्होंने पहले ही मोर्चा खोल दिया। आशा है, पुलिस अब अपनी छवि को बचाने के लिए ही सही पर अपना ध्यान अपराधों को रोकने पर केंद्रित करेगी न कि इनकी रिपोर्ट न छपे, इस पर।

*(सौजन्य : इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम, ९ सितंबर २०१४)*

हम, ***लोक पुलिस*** के इस अंक में छपे लेखों के बारे में आपके विचार जानना चाहेंगे। कृपया अपने विचार हमें अवश्य भेजें। हम उन्हें आपके नाम या अज्ञात, जैसा आप चाहेंगे, ***लोक पुलिस*** में प्रकाशित करेंगे। आपकी महत्वपूर्ण राय ही बदलाव लाएगी।

सी.एच.आर.आई., नई दिल्ली कार्यालय
प्रधान संपादक : ज़ीनत मलिक, चौथी मंज़िल, ५५ ए, सिद्धार्थ चैम्बर्स, कालू सराय, नई दिल्ली-११००१६, भारत
ई-मेल: info@humanrightsinitiative.org वेबसाईट: http//www.humanrightsinitiative.org